

RB No. 115 /2016

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA  
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS  
(रेलवे बोर्ड) (RAILWAY BOARD)

No. E(W) 2016/PS 5-8/1

New Delhi, dated 29.09.2016

The General Managers (P)  
All Indian Railways

Sub: Issue of Pensioners' Identity Card to pensioners.

Instructions have been issued vide Board's letter No. E(W)2001/PS5-8/10 dated 31.01.2002 and 26.09.2002 regarding issue of laminated Identity Cards to pensioners in the prescribed format on payment of ₹ 10/- towards the cost.

2. Department of Pension & Pensioners Welfare (DOP&PW) have since revised the format of Pensioners' Identity Card and laid down the following specifications for the Identity Cards:-

- (i) The Pensioners Identity Card should be in the prescribed format.
- (ii) The Identity Card should be of the standard size of 8½ cm x 5½ cm.
- (iii) Identity card to pensioners retiring from the Railways may be printed as Plastic Identity Cards with the help of Duplex Thermal Colour Printer. Inhouse/outside printing facility may be used as appropriate, depending on the requirement.
- (iv) The pensioners identity card will be issued to the retiring employees free of charge.

3. Accordingly, it has been decided that henceforth the Pensioners' Identity Cards should be issued free of cost in compliance with above Specifications and in the revised format enclosed (Annexure I & II). Format at Annexure-I, in the case of railway servants retiring under Old Pension Scheme and format at Annexure-II, in the case of employees retiring under New Pension Scheme, will be applicable. Duplicate card shall, however, be issued on payment of ₹ 25/- at the nearest Railway Station/Cash Office by the pensioners under Misc Receipt.

4. This issues with the concurrence of Finance Dte. of Ministry of Railways.

(Sunil Kumar)  
Director Estt.(Welfare)  
Railway Board

Encl: Annexure-I & II

2/-

आर.बी. न. ११५/२०१६

भारत सरकार  
रेल मंत्रालय  
(रेलवे बोर्ड)

सं. ई(डब्ल्यू)2016/पीएस5-8/1

नई दिल्ली, दिनांक 29.09.2016

महाप्रबंधक (कार्मिक)  
सभी भारतीय रेलें

विषय: पेंशनभोगियों को पेंशनभोगी पहचान-पत्र जारी करना।

बोर्ड के दिनांक 31.01.2002 और 26.09.2002 के पत्र सं. ई(डब्ल्यू)2001/पीएस5-8/10 के तहत अनुदेश जारी किए गए थे कि लागत के रूप में 10/- रुपए के भुगतान पर निर्धारित फार्मेट में पेंशनभोगियों को लैमिनेटिड पहचान-पत्र जारी किए जाएं।

2. पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपी एण्ड पीडब्ल्यू) ने अब पेंशनभोगियों के पहचान-पत्र के फार्मेट में संशोधन किया है और पहचान-पत्रों के लिए निम्नलिखित विशिष्टियां निर्धारित की हैं:-

- (i) पेंशनभोगियों के पहचान-पत्र निर्धारित फार्मेट में होने चाहिए।
- (ii) पहचान-पत्र का मानक आकार  $8\frac{1}{2}$  सेंमी. x  $5\frac{1}{2}$  सेंमी. होना चाहिए।
- (iii) रेलवे से सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों के पहचान-पत्र डुप्लेक्स थर्मल कलर प्रिंटर की सहायता से प्लास्टिक पहचान-पत्र के रूप में मुद्रित किए जाने चाहिए। आवश्यकता के आधार पर यथोचित इन-हाउस/आउट-साइड मुद्रण सुविधा का उपयोग किया जाए।
- (iv) सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पेंशनभोगी पहचान-पत्र निःशुल्क जारी किया जाएगा।

3. तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि अब से पेंशनभोगियों के पहचान-पत्र उपर्युक्त विशिष्टियों के अनुसार और संलग्न संशोधित फार्मेट (अनुलग्नक I और II) में निःशुल्क जारी किए जाने चाहिए। पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों के मामले में अनुलग्नक-I पर दिया गया फार्मेट और नई पेंशन योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मामले में अनुलग्नक-II पर दिया गया फार्मेट लागू होगा। बहरहाल, विविध प्राप्ति्यों के अंतर्गत पेंशनभोगियों द्वारा नजदीकी रेलवे स्टेशन/रोकड़ कार्यालय में 25/- रुपए का भुगतान करने पर डुप्लीकेट कार्ड जारी किया जाएगा।

4. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

(सुनील कुमार)

निदेशक स्था.(कल्याण)

रेलवे बोर्ड

संलग्नक: अनुलग्नक-I और II

Annexure-I

FRONT

PENSIONER'S IDENTITY CARD

GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF RAILWAYS

.....Railway

|                          |               |   |
|--------------------------|---------------|---|
|                          | No.           | : |
|                          | Name          | : |
| Space for                | Res. Address  | : |
| Photograph               | Telephone No. | : |
|                          | Blood Group   | : |
| Signature of Card holder |               |   |

Signature of Issuing  
Authority with seal

REVERSE

Date of birth  
Date of appointment  
Date of superannuation / retirement  
Pay-scale on retirement  
Post held on Retirement  
Last pay  
Qualifying service  
PPO No. and date  
Aadhar No. (If available)  
RELHS Card No.  
Contact No.

Annexure-II

FRONT

PENSIONER'S IDENTITY CARD

GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF RAILWAYS  
.....Railway

|            |               |   |
|------------|---------------|---|
|            | No.           | : |
|            | Name          | : |
| Space for  | Res. Address  | : |
| Photograph | Telephone No. | : |
|            | Blood Group   | : |

Signature of Card holder

Signature of Issuing  
Authority with seal

REVERSE

Date of birth  
Date of appointment  
Date of superannuation / retirement  
Pay-scale on retirement  
Post held on Retirement  
Last pay  
Qualifying service  
PRAN Number  
Aadhar No. (If available)  
RELHS Card No.  
Contact No.

अनुलग्नक-1

मुख पृष्ठ

पेंशनभोगी पहचान-पत्र

भारत सरकार

रेल मंत्रालय

..... रेलवे

फोटोग्राफ के सं. :  
लिए स्थान नाम :  
आवासीय पता :  
टेलीफोन नं. :  
रक्त ग्रुप :  
कार्डधारी के हस्ताक्षर

मोहर के साथ जारी करने वाले  
अधिकारी के हस्ताक्षर

पिछला भाग

जन्म तिथि  
नियुक्ति की तारीख  
अधिवर्षिता/सेवानिवृत्ति की तारीख  
सेवानिवृत्ति के समय वेतन-मान  
सेवानिवृत्ति होने के समय धारित पद  
अंतिम वेतन  
अर्हक सेवा  
पीपीओ नं. और तारीख  
आधार नं. (यदि उपलब्ध हो)  
आरईएलएचएस कार्ड नं.  
संपर्क नं.

मुख पृष्ठ

पेंशनभोगी पहचान-पत्र

भारत सरकार

रेल मंत्रालय

..... रेलवे

फोटोग्राफ के सं. :  
 लिए स्थान नाम :  
 आवासीय पता :  
 टेलीफोन नं. :  
 रक्त ग्रुप :  
 कार्डधारी के हस्ताक्षर

मोहर के साथ जारी करने वाले  
 अधिकारी के हस्ताक्षर

पिछला भाग

जन्म तिथि  
 नियुक्ति की तारीख  
 अधिवर्षिता/सेवानिवृत्ति की तारीख  
 सेवानिवृत्ति के समय वेतन-गान  
 सेवानिवृत्ति होने के समय धारित पद  
 अंतिम वेतन  
 अर्हक सेवा  
 पीआरएन सं.  
 आधार नं. (यदि उपलब्ध हो)  
 आरईएलएचएस कार्ड नं.  
 संपर्क नं.